रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 1987/चैत्र 20, 19
NO. 186] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 1987/CHAITRA 20, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

सा. का. नि. 382(अ).—केन्द्रीय सरकार, रुग्ण उद्योग कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, 15 अप्रैल, 1987 से प्रभावी औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन अपील प्राधिकरण गठित करती है और निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करती है, अर्थात्:—

1. न्यायमूर्ति दलीप के कपूर
 भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति
 दिल्ली उच्च न्यायालय — अध्यक्ष

2. श्री बी. बी. सिंह — सदस्य
 भूतपूर्व अध्यक्ष,
 नेशनल फर्टीलाईजर लिमिटेड और भूतपूर्व
 सचिव,
 रसायन और उर्वरक मंत्रालय ।

3. श्री जी. रामचन्द्रन
 भूतपूर्व वित्त सचिव
 और भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक,
 एशियाई विकास बैंक — सदस्य

2. अध्यक्ष और अन्य सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें, जो भी पहले हो, अपने पद पर बने रहेंगे ।

[फा. सं. 2 (4) ए. ए. /87]
मनीश चन्द्र सत्यवादी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi the 10th April, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 382 (E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with section 6 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (No. 1 of 1986), the Central Government hereby constitutes the Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction with effect from the 15th day of April, 1987 and appoints the following persons

as Chairman and Members of the said Authority, namely :—

1. Justice Dalip K. Kapur, former Chief Justice of the Delhi High Court.	Chairman
2. Shri B.B. Singh, former Chairman, National Fertilizers Ltd. and former Secretary, Ministry of Chemicals and Fertilizers.	Member
3. Shri G.Ramachandran, former Finance Secretary and Former Executive Director, Asian Development Bank.	Member

2. The Chairman and other Members shall hold office for a period of five years from the date they assume office or until they attain the age of sixty five year, whichever is earlier.

[F.No. 2(4) A.A. /87]

M.C. SATYAWADI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987